बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या– PR........../2022

डी.एल.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2022 के आधार पर राज्य के डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु जारी प्रथम सूची के चयनित अभ्यर्थियों/अन्य अभ्यर्थियों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आवश्यक सूचना:–

राज्य के डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022–24 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2022 के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन के आधार पर समिति द्वारा नामांकन की प्रथम चरण की चयन सूची जारी की गयी है। पूर्व निदेशानुसार, प्रथम चयन सूची में नामांकन हेतु चयनित वैसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा बेहतर विकल्प के संस्थान आवंटन की संभावना के दृष्टिगत 'Slide up' विकल्प का प्रयोग किया जायेगा, के द्वारा अपने प्रथम चरण में आवंटित संस्थान में नामांकन राशि (शुल्क) जमा कर नामांकन लिया जाना अनिवार्य किया गया था।

2. वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में सीट आवंटन हुआ है और वे बेहतर विकल्प के संस्थान आवंटन की संभावना के दृष्टिगत 'Slide up' विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें द्वितीय अथवा तृतीय चरण में प्रथम चरण भिन्न एवं बेहतर विकल्प का संस्थान आवंटित होने की संभावना हो सकती है। इसी भाँति वैसे अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चरण में बेहतर विकल्प का संस्थान आवंटित होगा, उन्हें पुनः 'Slide up' विकल्प प्रयोग के कारण तृतीय चरण में बेहतर विकल्प का अन्य संस्थान आवंटित होने की संभावना हो सकती है। इसी प्रकार, वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हो सका है, उन्हें द्वितीय/तृतीय चरण में सीट आवंटन होने की संभावना हो सकती है। पुनः ऐसे अभ्यर्थियों को भी द्वितीय चरण में 'Slide up' विकल्प का प्रयोग करने पर तृतीय चरण में बेहतर विकल्प का संस्थान आवंटित हो सकता है।

3. अभ्यर्थी हित में निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :–

(i) वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में सीट आवंटन हुआ है और वे 'Slide up' विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं:–

वैसे अभ्यर्थी अपने आवंटित संस्थान में सशरीर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करायेंगे। संस्थान द्वारा सत्यापनोपरांत निर्धारित नामांकन शुल्क लेकर अभ्यर्थी का नामांकन लिया जायेगा। संस्थान द्वारा प्रत्येक नामांकन का **Updation** किया जाएगा।

(ii) वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में सीट आवंटन हुआ है और वे 'Slide up' विकल्प का प्रयोग करते हैं:–

(क) वैसे अभ्यर्थी अपने प्रथम चरण में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रति एवं उसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ सशरीर उपस्थित होंगे। संस्थान द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर छायाप्रति अपने संस्थान में संधारित की जाएगी तथा मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को 'दस्तावेज सत्यापन पर्ची' '(Document Verification Slip)' दिया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को संस्थान में 3000/–रू० मात्र (तीन हजार रूपये मात्र) की जमानत राशि (Surety Money) भी संस्थान में जमा करनी होगी, जिसका रसीद संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को दिया जाएगा। संस्थान द्वारा ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी का विवरण समिति के पोर्टल पर अपडेट (**Updation**) किया जाएगा।

(ख) यदि द्वितीय चरण के सीट आवंटन में अभ्यर्थी को प्रथम चरण में आवंटित संस्थान ही रह जाता (Retain) है और अभ्यर्थी उस संस्थान में नामांकन लेने को इच्छुक है, तो वह निर्धारित शुल्क जमा कर वहाँ नामांकन ले सकता है। इस स्थिति में संस्थान द्वारा नामांकन शुल्क जमानत राशि का सामंजन कर लिया जाएगा। संस्थान द्वारा प्रत्येक नामांकन का **Updation** किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी उस संस्थान में नामांकन लेने को इच्छुक नहीं है, तो तृतीय चरण में बेहतर विकल्प के संस्थान आवंटन की संभावना के दृष्टिगत पुनः 'Slide up' विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

21.11.2022

(ग) यदि द्वितीय चरण में अभ्यर्थी को अन्य संस्थान (प्रथम चरण से भिन्न) आवंटित होता है और वह उससे संतुष्ट है, तो वह निर्धारित शुल्क जमा कर वहाँ नामांकन ले सकता है। संस्थान द्वारा नामांकन का **Updation** किया जाएगा।

(घ) यदि अभ्यर्थी द्वितीय चरण के सीट आवंटन से संतुष्ट नहीं है और वह बेहतर विकल्प के संस्थान आवंटन की संभावना के दृष्टिगत प्रतीक्षा करना चाहता है, तो वह अपने द्वितीय चरण में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रति एवं उसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ सशरीर उपस्थित होंगे। संस्थान द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर छायाप्रति अपने संस्थान में संधारित की जाएगी तथा मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को 'दस्तावेज सत्यापन पर्ची' '(Document Verification Slip)' दिया जायेगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को संस्थान में 3000/–रू० मात्र (तीन हजार रूपये मात्र) की जमानत राशि (Surety Money) भी संस्थान में जमा करनी होगी, जिसका रसीद संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को दिया जाएगा। संस्थान द्वारा ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी का विवरण समिति के पोर्टल पर अपडेट (**Updation**) किया जाएगा।

(ङ) यदि तृतीय में चरण में अभ्यर्थी को प्रथम अथवा द्वितीय चरण में आवंटित संस्थान ही रह जाता (Retain) है और अभ्यर्थी उस संस्थान में नामांकन लेने को इच्छुक हैं, तो निर्धारित शुल्क जमा कर वहाँ नामांकन लेंगे। संस्थान द्वारा जमानत राशि का सामंजन नामांकन शुल्क में किया जाएगा।

(च) यदि तृतीय चरण में अभ्यर्थी को अन्य संस्थान आवंटित होता है, तो अभ्यर्थी द्वारा वहाँ दस्तावेज सत्यापन कराकर एवं निर्धारित नामांकन शुल्क की राशि जमा कर नामांकन लिया जाएगा।

(iii) वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में सीट आवंटन नहीं हुआ है :–

वैसे अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में सीट आवंटन होने पर उपर्युक्त प्रक्रिया अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

---

4. नामांकन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा पूर्व के आवंटित संस्थान, जहाँ उनके द्वारा नामांकन नहीं लिया गया होगा, में जाकर अन्य संस्थान में नामांकन से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत कर वहाँ जमा की गई जमानत की राशि वहाँ से वापस प्राप्त कर ली जाएगी।

5. संस्थान नामांकन शुल्क लेने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा उनके यहाँ पूर्व में जमा की गयी जमानत की राशि, यदि कोई हो, का सामंजन अवश्य करेंगे।

6. 'Slide Up' विकल्प के प्रयोग के पश्चात्, आगामी चरण में अन्य संस्थान आवंटन होने की स्थिति में और पुनः 'Slide Up' विकल्प प्रयोग नहीं किए जाने पर यदि अभ्यर्थी द्वारा नव आवंटित (अंतिम) संस्थान में अपना नामांकन नहीं लिया जाता है तो उसका नामांकन का दावा समाप्त हो जायेगा। साथ ही जमा की गयी जमानत की राशि भी जब्त (Forfeit) कर ली जाएगी।

7. यहाँ यह ध्यान रहे कि 'Slide Up' विकल्प के प्रयोग के पश्चात्, आगामी चरण में अन्य संस्थान आवंटन होने के साथ–साथ पूर्व के चरण में उसका हुआ आवंटन स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 'Slide Up' विकल्प आधार पर वह सीट किसी अन्य इच्छुक अभ्यर्थी को आवंटित हो चुका होगा।

21.11.22

21/11/22

परीक्षा नियंत्रक (विविध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : टी०टी०प्रे० 411 /2022   पटना, दिनांक : 21 / 11 /2022

प्रतिलिपिः 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, आई०टी०/उप निदेशक, आई०टी० (OFSS/S) को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान एवं अन्य को इस विज्ञप्ति से अवगत कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।
3. वित्त पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
6. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. अध्यक्ष/सचिव के आप्त सचिव एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ प्रेषित ।

परीक्षा नियंत्रक (विविध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।